

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

(GOVT. REGD. 483/2017, INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVT. OF INDIA, I.T.A. 1882) REGD. UNITED NATION (UNDESA), NITI AAYOG (GOVT. OF INDIA)

Regd. 12A & 80G Under Income Tax Department (Ministry of Finance, Govt. of India) Regd. CSR1 Under Ministry of Corporate Affairs (Govt. of India) & M.S.M.E. (Govt. of India)

AN ORGANIZATION FOR THE PROTECTION & PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

कार्यालयीन आदेश


दिनांक 10/03/2023 से प्रभार्व

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनएचआरसीसीबी) के समस्त पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार दिनांक 10/03/2023 से निम्नलिखित निर्णय प्रभावी होंगे जिनका पालन किया जाना सनिश्चित करें -

- 1. यह कि ब्लॉक कार्यकारिणी / जिला कार्यकारिणी / संभाग कार्यकारिणी के ऐसे पदाधिकारी जिनकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है और किसी की अनुशंसा के आधार पर या किसी विशिष्ट कारण से उनकी नियक्ति जनरल विंग में की गई थी ऐसे समस्त पदाधिकारियों को दिनांक 10/03/2023 से यूथ विंग में ट्रांसफर किया जाएगा।
- 2. यह कि ब्लॉक कार्यकारिणी / जिला कार्यकारिणी / संभाग कार्यकारिणी के ऐसे पदाधिकारी जिनकी उम्र सीमा 31 से 75 वर्ष है और किसी की अनुशंसा के आधार पर या किसी विशिष्ट कारण से उनकी नियुक्ति यूथ विंग में की गई थी ऐसे समस्त पदाधिकारियों को दिनांक 10/03/2023 से जनरल विंग विंग में ट्रांसफर किया जाएगा।
- 3. यह कि उपरोक्त श्रेणी में आने वाले पदाधिकारियों की केवल विंग ट्रांसफर की जाएगी परन्त पद पूर्वानुसार ही रहेगा।
- 4. यह कि जैसा की संस्था के नियमानुसार ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष का एक ही पद होता है इस स्थिति में अगर किसी यूथ विंग के ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष को जनरल विंग में ट्रांसफर किया जाना है परन्तु उक्त स्थान पर पहले से जनरल विंग के ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष नियुक्त है उस स्थित में यूथ विंग जिला अध्यक्ष को जनरल विंग में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
- 5. यह कि जैसा की संस्था के नियमानुसार ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष का एक ही पद होता है इस स्थिति में अगर किसी जनरल विंग के ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष को यूथ विंग में ट्रांसफर किया जाना है परन्तु उक्त स्थान पर पहले से यूथ विंग के ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष नियुक्त है उस स्थित में जनरल विंग ब्लॉक अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / संभाग अध्यक्ष को यूथ विंग में उपाध्यक्ष पद पर नियक्ति दी जाएगी।
- 6. यह कि अगर कोई ब्लॉक / जिला / संभाग उपाध्यक्ष / महासचिव / सचिव / संयुक्त सचिव / मीडिया ऑफिसर / लीगल एडवाइजर / संरक्षक / सलाहकार भी इस श्रेणी में आते है उस स्थिति में केवल उनकी विंग टांसफर की जावेगी पद यथावत होंगे।
- 7. यह कि इस प्रक्रिया से उक्त पदाधिकारियों के आई डी कार्ड की वेलिडिटी में कोई बदलाव नहीं होगा उनके आईडी कार्ड की वेलिडिटी पूर्वानुसार ही रहेगी।

Web: www.nhrccb.org • Email - nhrccb@gmail.com

Head Office: Plot No. -44, Upper Ground Floor, Pocket B/10 Sector 13 Dwarka, New Delhi 110075 National Admn. Office/C.O.: Quarter No. LS/48, First Floor Harmu Housing Colony Near Kartik Oraon Chowk, Harmu Ranchi - 834002 (Jharkhand), Mob.: 9102224365 Help Line - 9893151900



- 8. यह कि नया आई कार्ड प्राप्त कर अगले तीन दिवस में ब्लॉक टीम के पदाधिकारी अपने नए ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को रिपोर्टिंग करें, जिला टीम के पदाधिकारी अपने नए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्टिंग करें, संभाग टीम के पदाधिकारी अपने नए संभाग अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्टिंग करें।
- 9. किसी भी विवादित स्थित में अंतिम निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जनरल विंग का होगा जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जनरल विंग अपने लेटरहेड पर राष्ट्रीय कार्यालय को अनुशंसा कर सकते है।

नोट -

- 1. यह आदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए लागु नहीं है।
- 2. अगर कोई पदाधिकारी इस नियम के अंतर्गत आते है तो हेल्पलाइन पर संपर्क कर अपना नया आई कार्ड प्राप्त करें।
- 3. अगर कोई पदाधिकारी जानते हुए भी यह जानकारी आदेश दिनांक से अगले 07 दिवस तक गुप्त रखते है या राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित नहीं करते है तो उसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।
- 4. संस्था के समस्त पदाधिकारी वेबसाइट WWW.NHRCCB.ORG पर लॉग इन कर अपनी प्रोफाइल में अपनी जानकारी वेरीफाई करें और अगर कोई त्रुटी है तो हेल्पलाइन पर सूचित करें।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार

राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्यालय

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (रजि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष /राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (समस्त) / राष्ट्रीय महासचिव (समस्त) राष्ट्रीय सचिव (समस्त) /राष्ट्रीय संयुक्त सचिव (समस्त) राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर (मैनेजमेंट) / प्रदेश अध्यक्ष (समस्त) /प्रदेश उपाध्यक्ष (समस्त) /प्रदेश महासचिव (समस्त) / प्रदेश सचिव (समस्त) / प्रदेश संयुक्त सचिव (समस्त) / जिला पदाधिकारी (समस्त)/ प्रखंड पदाधिकारी (समस्त) एवं सदस्य एनएचआरसीसीबी

ाष्ट्रीय प्रसाशनिक क्रायिलिय

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रेण इसूरो (रिज

Page 2 of 2